भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 17

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

गायब हुई कंपनियां

17. श्री बी. एन. बचेगौडाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में गायब हो रही कंपनियों की सूची में शामिल कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): गायब कंपनियों के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1999 में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष, सेबी की सह-अध्यक्षता में एक समन्वय एवं निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया। इसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रादेशिक निदेशक (आरडी) और साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष 1992-2005 के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) लेकर आने वाली कंपनियों में से, कुल 238 कंपनियों की पहचान "गायब कंपनियों" के रूप में की गई थी। इस मंत्रालय के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप, 129 कंपनियों का पता लगा लिया गया है और ये कंपनियां अब नियमित रूप से सांविधिक विवरणी दायर कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, 32 गायब कंपनियां समापनाधीन थीं। गायब कंपनियों की सूची से इन 161 (अर्थात् 129 और 32) कंपनियों को हटाने के पश्चात् कुल गायब कंपनियों की वर्तमान संख्या 77 है।

(ख): कंपनी रजिस्ट्रारों ने गायब कंपनियों, उनके प्रवर्तकों और निदेशकों के संबंध में कानूनी कार्रवाई आरंभ की है। रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों में जाकर सत्यापन करने के अलावा, विभिन्न अपराधों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

*****